

२२<sup>०९</sup>/<sub>२३</sub>

पत्रावली पेश है। वादी श्री ओर से कोई  
अप्रीति नहीं होने पर बार-बार भावज  
समाने के बखर्द वादी एवं वादी के अधिकार  
अनुपस्थित रहे। वादी एवं अधिकार अपने  
द्वारा प्रकृत वाद को आगे खसाने के प्रति


-००१-

उप जिला कलक्टर  
लवाण

अज अदालत न्यायालय उप जिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट लवाण मुकाम लवाण

अपान..... रामराम ..... बनाम..... श्रीमा व अन्य .....

किस मुकदमा..... दावा ..... मुकदमा नं..... 65 ..... सन..... 2021 .....

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
22-09-23	<p>गंभीर नहीं होने के कारण वादी का वाद अपन दायरी एवं अपन पेंसरी में खारिज किया जाता है। निर्णय आज दिनांक 22.09.2023 को सर्वे सायाखम में सुनाया गया। पत्रावली के जम सुभाट होकर बाद लेख भेजा है।</p> <p style="text-align: center;">   उप जिला कलक्टर  लवाण </p>	